न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. – 2023/496
मुकदमा नम्बर 118/2023 दर्ज दिनांक–07.12.2023

अलारखी पत्नी आमीन जाति काजी निवासी घोडीवारां खुर्द, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू(राज.)

बनाम

1. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुंनू
2. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ

वकील आवेदक :– श्री राकेश सारस्वत
वकील अनावेक :– पैरो. राज.

प्रार्थना–पत्र(पत्थरगढ़ी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 29.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि, ग्राम घोडीवारां खुर्द की तन में स्थित भूमि खसरा नं. 561/77 रकबा 0.33 की पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान करे।

प्रा. पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित अतः इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अनावेदक सं. 1 पैरो. राज उपस्थित हो किसी प्रकार का एतराज पेश नही किया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

लिहाजा न्यायालय को यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार है कि राजस्व कार्मिको द्वारा तैयार सीमाज्ञान शुद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगड्डी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 26.10.2023 स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम घोडीवारां खुर्द की तन में स्थित भूमि खसरा नं. 561/77 रकबा 0.33 की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 26.10.2023 कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष मे जमा कर उक्त सम्बन्ध मे जो भी हितबद्व आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी मे पत्थरगड्डी करे। यदि आदेश कि पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 29/10/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

Scanned with CamScanner